संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 25-04-2021**

आज दिनांक 25.04.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

थाना बखिरा पुलिस द्वारा छेड़छाड़ के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत **प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 115 / 2021 धारा 354 भादवि 7 / 8 पाक्सों एक्ट में संतराम पुत्र विक्रम प्रसाद निवासी परजूडीह थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 23.04.2021 को वादिनी के साथ छेड़छाड़ किया गया था जिस पर वादिनी द्वारा थाना बखिरा पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था महिला संबन्धित अपराध की गंभीरता को देखते हुए बखिरा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

संतकबीरनगर पुलिस

<u>पीआरवी आफ द डे</u>

<u>पीआरवी 1495 द्वारा मारपीट / विवाद में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल</u>– पीआरवी <u>1495</u> को थाना मेहदावल क्षेत्रान्तर्गत से इवेन्ट संख्या 11472 से कालर ने दो पक्षों के बीच मारपीट / विवाद होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 07 मिनट में पहुंचकर मारपीट / विवाद में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेंहदावल पहुंचाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना मेहदावल को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्ति द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 प्रहलाद प्रसाद, कां0 ऋषभ राय, हो0चा0 राकेश कन्नौजिया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 32 वाहनो से 43500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 25.04.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 32 वाहनो से 43500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।